

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

PC-VI No. 100
RBE No. 68/09

No.E(P&A)I-2008/SP-1/WS-4.

New Delhi dated 23-04-09

The General Managers
All Indian Railways and PUs.

Sub: Recommendation of the VI Central Pay Commission –
Decision relating to grant of PCO Allowance to staff of
Production Control Organisation.


Ref: Board's letter of even number dated 6.2.09.

With reference to Board's above quoted letter, a doubt has been raised by some of the Associations as to whether Junior Engineers I & II drawing grade pay Rs.4200/- will be covered by the instructions contained in Board's letter dt.6.2.2009 for payment of P.C.O Allowance @ 15%.

2. It is clarified that PCO Allowance may continue to be paid @ 15% to non-supervisory staff and JE-I & II drawing grade pay upto Rs. 4200/- and @ 7.5% to SEs and SSEs drawing grade pay of Rs. 4600/-.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Please acknowledge receipt.


(Chander Parkash)
Joint Director, Estt. (P&A),
Railway Board

No.E(P&A)I-2008/SP-1/WS-4.

New Delhi dated 23-04-09

Copy to:

1. The Principal Director of Audit, All Indian Railways.
2. The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224 Rail Bhawan, New Delhi(with 40 spares).


for Financial Commissioner/Railways.

No. E(P&A)I-2008/SP-1/WS-4

New Delhi, dated: 23.04.2009

Copy to the FA &CAOs, All Indian Railways & Production Units etc.


(Chander Parkash)
Joint Director Estt.(P&A),
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

पी सी-VI सं. 100
आरबीई सं. 68/09

सं. ई(पी एंड ए)I-2008/एसपी-1/डब्ल्यूएस-4

नई दिल्ली, दिनांक 23.04.2009

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय: छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश - उत्पादन नियंत्रण संगठन के स्टाफ को पीसीओ भत्ता प्रदान करने से संबंधित निर्णय।

संदर्भ: बोर्ड का 06.02.2009 का समसंख्यक पत्र।

बोर्ड के ऊपर उल्लिखित पत्र के संदर्भ में, कुछ एसोसिएशनों द्वारा एक शंका व्यक्त की गई है कि क्या 4200/- रुपए ग्रेड वेतन आहरित करने वाले कनिष्ठ इंजीनियर I एवं II, 15% की दर से पीसीओ भत्ते के भुगतान हेतु बोर्ड के 06.02.2009 के पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अंतर्गत शामिल होंगे।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि 4200/- रुपए तक ग्रेड वेतन आहरित करने वाले गैर-पर्यवेक्षी स्टाफ एवं जेई-I एवं II को 15% की दर से और 4600/- रुपए का ग्रेड वेतन आहरित करने वाले एसई एवं एसएसई स्टाफ को 7.5% की दर से पीसीओ भत्ता दिया जाना जारी रखा जाए।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।

CSM/21

(चंद्र प्रकाश)

संयुक्त निदेशक स्था.(पी एंड ए)

रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एंड ए)I-2008/एसपी-1/डब्ल्यूएस-4

नई दिल्ली, दिनांक 23.04.2009

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान लेखा परीक्षक, सभी भारतीय रेलें।
2. भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

श्री. पी. चतुर्वेदी

कृते वित्त आयुक्त, रेलें